अधिसूचना सं0 12/2014-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क नई दिल्ली, तारीख 11 जुलाई, 2014

सा.का.नि.   (अ) -- केंद्रीय सरकार, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 12/2012-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 17 मार्च, 2012 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में, सा.का.नि. सं0 163(अ), तारीख 17 मार्च, 2012 द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :--

उक्त अधिसूचना में,-

(क) सारणी में,-

(i) क्रम सं. 35 के सामने, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "16%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) क्रम सं. 48 के सामने, स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "2403 19 29" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) क्रम सं. 70 में स्तंभ (3) की मद (ii) के सामने, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, " ₹ 2.35 प्रति लीटर" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iv) क्रम सं. 81 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"81	2711 12 00 2711 13 00 2711 19 00	इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड या भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा घरेलू गृहस्थ उपभोक्ताओं या गैर घरेलू छूट प्राप्त प्रवर्ग (गै.घ.छू.प्रा.प्र.) ग्राहकों को द्रवीकृत प्रोपेन और ब्यूटेन मिश्रण, द्रवीकृत प्रोपेन, द्रवीकृत ब्यूटेन और द्रवीकृत पेट्रोलियम गैसों की आपूर्ति के लिए	कुछ नहीं	-";

(iv) क्रम सं. 133 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

"133क	3208, 3815, 3901, 3920	सौर प्रकाश वोल्टीय सेल या मॉड्यूल्स के विनिर्माण के लिए ईथाइलेन विनायल एसीटेट (ई.वि.ए.) शीटों या बैक शीट के विनिर्माण में उपयोग के लिए निम्नलिखित माल, अर्थात् :-- (i) ई.वि.ए. रेजिन; (ii) ई.वि.ए. मास्टर बैच ; (iii) पोली ईथाइलीन टरफ्थेलेट (पोईट फिल्म); (iv) पोली विनायल फ्लुराइड (पो.वि.फ्लु.) ; (v) पोली विनायल डाई-फ्लुराइड(पो.वि.डा-फ्लु.); (vi) एडहेसिव रेजिन; और (vii) एडहेसिव कठोरक ।	कुछ नहीं	51";

(vi) क्रम सं. 142 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"142	3605 00 10 या 3605 00 90	माचिस, जिनके विनिर्माण में या उसके संबंध में, 'फ्रेम फिलिंग', माचिस की तीलियों के सिरों की संरचना में तीलियों के सिरों का डुबोना, माचिस के डिब्बों, पृष्ठावृत्त या गत्तों पर लेबलों का चिपकाना और पैकेजिंग विद्युत की सहायता से की जाती है	6%	-";

(vii) क्रम सं. 144 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

"144क	38	हिन्दुस्तान इनसेक्टेसाइड्स लिमिटेड द्वारा मच्छर नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम को (रा.वे.ज.रो.नि.क्रा.) डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोईथेन (डीडीटी) की आपूर्ति	कुछ नहीं	-";

(viii) क्रम सं. 147 में स्तंभ (3) में स्पष्टीकरण का लोप किया जाएगा;

(ix) क्रम सं. 148 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

"148क	3920, 3921	सौर प्रकाश वोल्टीय सेल या मॉडयूल के विनिर्माण में उपयोग के लिए ईथाइलेन विनायल एसीटेट (ई.वि.ए.) शीटें या बैक शीट	कुछ नहीं	51";

(x) क्रम सं. 149 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

"149क.	कोई अध्याय	सिक्युरिटी पेपर मिल, होशंगाबाद और बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मैसूर द्वारा सिक्युरिटी पेपर के विनिर्माण में उपयोग के लिए सिक्युरिटी फाइबर और सिक्युरिटी धागे	कुछ नहीं	2";

(xi) क्रम सं. 172क के सामने, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "6%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xii) क्रम सं. 180 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"180	64	(क) ₹ 500 प्रति जोड़ी से अनधिक खुदरा विक्रय कीमत के जूतादि; (ख) ₹ 500 प्रति जोड़ी से अधिक किंतु ₹ 1000 प्रति जोड़ी से अनधिक खुदरा विक्रय कीमत के जूतादि । **स्पष्टीकरण** - "खुदरा विक्रय कीमत" से वह अधिकतम कीमत अभिप्रेत है जिस पर उत्पाद शुल्क्य माल अंतिम उपभोक्ता को पैक किए गए रूप में विक्रय किया जा सकेगा और जिसके अंतर्गत, यथास्थिति, सभी स्थानीय या अन्यथा कर, माल भाड़ा, परिवहन प्रभार, डीलरों को संदेय कमीशन और विज्ञापन, परिदान, पैकिंग, अग्रेषण और सदृश सभी प्रकार भी हैं और कीमत बिक्री के लिए एकमात्र प्रतिफल है।	कुछ नहीं 6%	15 15";

(xiii) क्रम सं. 187ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

"187ग	70	सौर प्रकाश वोल्टीय सेल या मॉडयूलों, सौर विद्युत उत्पादन उपस्कर या प्रणालियों और चपटी सतह के सौर संग्राहकों के विनिर्माण में उपयोग के लिए सौर पायित कांच	कुछ नहीं	2";

(xiv) क्रम सं. 211 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

"211क	7326 90 99	वायु प्रचालित विद्युत जनित्रों में उपयोग के लिए विशेष बियरिंगों के विनिर्माण के लिए फोर्ज किए हुए इस्पात के वलय	कुछ नहीं	50";

(xv) क्रम सं. 215 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

"215क	7408	सौर प्रकाश वोल्टीय सेलों या मॉडयूलों के लिए प्रकाश वोल्टीय रिबन (आयातित ताम्र के अत:संयोजन) के विनिर्माण में उपयोग के लिए चपटी ताम्र की तारें	कुछ नहीं	51";

(xvi) क्रम सं. 239 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

"239क	कोई अध्याय	पतली फिल्म कम्पोजिट झिल्ली का उपयोग करते हुए उत्क्रमित परासरण प्रौद्योगिकी के आधार पर जल निस्यंदन या शुद्धिकरण उपस्कर (घरेलू प्रकार के फिल्टरों से भिन्न) के लिए उत्क्रमित परासरण (उ.प.) झिल्ली एलीमेंट	कुछ नहीं	-";

(xvii) क्रम सं. 241 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

"241क	कोई अध्याय	घरेलू प्रकार के निस्यंदको के लिए उत्क्रमित परासरण (उ.प.) झिल्ली एलीमेंट	6%	-
241ख	8422 20 00, 8422 30 00, 8422 40 00, 8422 90 10, 8422 90 90	कृषि, मधु वाटिका, उद्यान कृषि, दुग्धशाला, कुक्कुट पालन, जल कृषि, जलीय और समुद्री उत्पाद तथा मांस के प्रसंस्करण और उत्पाद में प्रयुक्त होने वाले निम्नलिखित माल, अर्थात्:-- (i). बोतलों या अन्य आधानों की सफाई या शुष्कन के	6%	-";

		लिए मशीनरी ; (ii). बोतलों, कैनों, डिब्बों, थैलों या अन्य आधानों को भरने, बंद करने, सील करने या लेबलीकरण के लिए मशीनरी (iii). अन्य पैकिंग या लपेटने की मशीनरी (iv). (i) से (iii) पर मशीनों के पुर्जे		

(xviii) क्रम सं. 245 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

"245क	8435	सभी माल	6%	-
245ख	8438 50 00, 8438 60 00, 8438 90 90	(i). मांस या कुक्कुट की तैयारी के लिए मशीनरी ; (ii). फलों, दृढ़ फलों या सब्जियों की तैयारी के लिए मशीनें; (iii). (i) से (iii) पर मशीनों के पुर्जे	6%	-";

(xix) क्रम सं. 321 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और उससे संबंधित प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

321क	85 या 94	एलईडी लाइट और सज्जा या एलईडी लैंपों के विनिर्माण में उपयोग के लिए प्रकाशोत्सर्जी डायोड (एलईडी) ड्राइवर और धात्विक कोर मुद्रित परिपथ बोर्ड (धा.को.मु.प.बो.)	6%	-";

(xviii) क्रम सं. 332 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

"332क	कोई अध्याय	सूची 8 में विनिर्दिष्ट माल के	कुछ नहीं	2";

		विनिर्माण के लिए उत्पादन कारखाने के भीतर उपयोग के लिए पुर्जे		

(xix) क्रम सं. 340 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"340	कोई अध्याय	शीर्ष 8701 के अधीन आने वाले माल के विनिर्माण में उपयोग के लिए उत्पादन के कारखाने या उसी विनिर्माता के किसी अन्य कारखाने के भीतर उपयोग किए गए पुर्जे	कुछ नहीं	3";

(xxii) क्रम संख्या 346 के सामने, स्तंभ (2) में की विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएंगी, अर्थात् :-
"85 (8548 10, 8523 52, 8544 11 10, 8544 11 90 के सिवाय)";

(ख) उपाबंध में,-
(i) शर्त संख्या 48 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"48.	यदि माल की निकासी से पूर्व, विनिर्माता, यथास्थिति, उपायुक्त, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क या सहायक आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क को दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक या निदेशक (वैद्युत) या निदेशक (वित्त) से निम्नलिखित प्रभाव का कोई प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करता है -- (i) माल का उत्पादन दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन द्वारा या उसके निमित दिल्ली एमआरटीएस परियोजना चरण-1 और दिल्ली एमआरटीएस परियोजना चरण-2 के विनिर्दिष्ट कारीडोरो में उपयोग के लिए किया जा रहा है ; और (ii) माल दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा अनुरक्षित माल सूची का एक भाग है और अंतत: उनका स्वामी दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड होगा" ;

(iii) शर्त संख्या 49 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया, अर्थात् :--

"50	यदि माल की निकासी से पूर्व, विनिर्माता, यथास्थिति, उपायुक्त, केन्द्रीय

	उत्पाद शुल्क या सहायक आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क को भारत सरकार, नवीं और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में उप सचिव की पंक्ति से अन्यून अधिकारी से इस छूट को प्रदान करने की सिफारिश का कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है और उक्त अधिकारी प्रमाणित करता है कि माल वायु प्रचालित वैद्युत जनित्रों में उपयोग के लिए विशेष बियरिंग के विनिर्माण के लिए अपेक्षित है ।
51	यदि माल की निकासी से पूर्व, विनिर्माता, यथास्थिति, उपायुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क या सहायक आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क को भारत सरकार, इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीईआईटीवाई) में उप सचिव की पंक्ति से अन्यून अधिकारी से इस छूट को प्रदान करने की सिफारिश का कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है और उक्त अधिकारी प्रमाणित करता है कि माल विशेष प्रयोजन के लिए अपेक्षित है ।"

(iii) सूची 8 में,--

(अ) "(देखें क्रम सं. 332)" शब्द, अक्षर और अंकों के स्थान पर "(देखें क्रम सं. 332 और 332क)" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।

(आ) मद सं. 21 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

[फा.सं. 334/15/2014-टीआरयू]

(अक्षय जोशी)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण: मूल अधिसूचना सं. 12/2012-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 17 मार्च, 2012, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सं. सा.का.नि. 163(अ) 17 मार्च, 2012 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 6/2014- केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 25 जून, 2014 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित अधिसूचना सं. सा.का.नि. 418(अ), तारीख 25 जून, 2014 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई थी ।